न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 169/2013
दायरी दिनांक 23.10.2013

उनवान

1. जगदीश पिता देवकरण जाति पारीक निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. रामस्वरूप पिता देवकरण जाति पारीक निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण

बनाम

1. सुमाना पिता लछमण जाति भील निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. भूरा पिता लछमण जाति भील निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. भेरू पिता नन्दा जाति भील निवासी बीडकाखेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. काली पुत्री नन्दा जाति भील ना0बा0ब0नि0 माता धापू बेवा नन्दा जाति भील निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिल भीलवाड़ा।
5. धापू बेवा नन्दा जाति भील निवासी बीडकाखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिल भीलवाड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा धामणिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री अनिल पारीक (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5)
3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

--: निर्णय :--

निर्णय दिनांक : 25.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक नियमित राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीडकाखेडा पटवार हल्का मुकनपुरिया में स्थित आराजी संख्या 193 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 197 रकबा 3 बिस्वा गै0मू0 चाह, आराजी संख्या 198 रकबा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 199 रकबा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 200 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 201 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 202 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा किता 7 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि होकर वादीगण का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा निहित होकर वादीगण शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक आराजी नम्बर 156 मिन पूर्व में जमाबन्दी साल 2017 से 2020 तक में खातेदार नाहरसिह रामचन्द्र पिता धुकल पारीक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड होकर उन्ही के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी साबिक आराजी नम्बर 156

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner

रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202 कुल किता 7 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा बना है तथा उस समय उक्त आराजी में नाहरसिह रामचन्द्र का बराबर हक हिस्सा निहित था जिसमें से पूर्व खातेदार नाहरसिह पिता धुकल ने उक्त वादग्रस्त आराजियात में से 1/2 अपना हक हिस्सा लक्ष्मण पिता लाला भील को बेचान किया था तथा शेष रामचन्द्र का हक हिस्सा बेचान नहीं किया था। लक्ष्मण पिता लाला भील की मृत्यु हो चुकी है एवं वह प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का पिता है। पूर्व खातेदार रामचन्द्र की भी मृत्यु हो चुकी है। रामचन्द्र के एक संतान देवकरण हुए, देवकरण की भी मृत्यु हो गयी तथा वादीगण देवकरण के पुत्र है तथा रामचन्द्र के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से वादीगण वादग्रस्त जायदाद में से 1/2 हक हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात के कागजी खातेदार है। कागजी खातेदार होने से वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 ने बिना जांच किये साबिक आराजी 156 का सम्पूर्ण खाते का इन्तकाल लक्ष्मण पिता लाला के नाम पर खोल दिया जबकि बेचान ही 1/2 हिस्से का हुआ है। नामान्तरकरण भी पूरे रकबे का ही खोल दिया। अतः उक्त वाद पत्र वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त 9 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाते हुए विभाजन किये जाने की डिक्री तथा प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से में दखलन्दाजी नही करने बाबत् डिक्री प्रदान कराना फरमावे।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस मय नकल वाद पत्र जारी किये गये। दिनांक 28.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली, दिनेश कुमार तम्बोली ने अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया। दिनांक 28.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादीगण ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को इन्कार करते हुए अंकित किया कि प्रतिवादीगण कई वर्षो से उक्त वादग्रस्त आराजियात के खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि लक्ष्मण पिता लाला भील के खातेदारी की थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम विरासत से दर्ज की गई है। उक्त भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नही है। वादीगण सवर्ण जाति से होकर पारीक है तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति से होकर भील समुदाय के है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होकर कब्जा अधिकार है। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थयी निषेधाज्ञा पारित नही हो सकती है। वादीगण किसी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादपत्र सव्यय खरिज फरमाया जावे।

वादीगण ने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 मिलान एवं संवत् 2022–25 व रजिस्ट्री की नकल छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत नही हुए। वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा

तनकी नम्बर 1 :– आया ग्राम बीडकाखेडा की साबिक आराजी संख्या 156 मिन पूर्व में खातेदार नाहरसिंह, रामचन्द्र पिता धूकल पारीक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रिकॉर्ड थी।

तनकी नम्बर 2 :– आया वादग्रस्त साबिका आराजी संख्या 156 मीन के वर्तमान आराजी संख्या 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202 है। जिसका वर्तमान रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा बनता है।

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर 3 :– आया वादग्रस्त आराजी का खातेदार नाहरसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा ही लक्ष्मण पिता लालू भील को बेचान किया था शेष हिस्सा 1/2 रामचन्द्र का बेचान नही किंया था।

तनकी नम्बर 4 :– आया रामचन्द्र के पुत्र देवकरण व देवकरण के पुत्र वादीगण जगदीश व रामस्वरूप है।

तनकी नम्बर 5 :– आया वादग्रस्त आराजी का रामचन्द्र के हिस्से का वादीगण हक प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है।

दिनांक 06.12.2016 को साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू 1 रामस्वरूप पारीक एवं पी0डब्ल्यू 2 घीसूलाल पारीक के बयान लेखबद्ध करवाये गये। साक्ष्य पी0डब्ल्यू 1 के रूप में रामस्वरूप पारीक द्वारा अपने बयानों में अंकित किया गया कि ग्राम बीडकाखेडा में 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके नये आराजी नम्बर 156 है। यह भूमि पूर्व में दादाजी धूकल जी के नाम थी जो बांद में नाहरसिंह–रामचन्द्र पिता धूकलजी के नाम हुई। नाहरसिंहजी ने आपना आधा हिस्सा उस समय प्रतिवादीगण के पिता को बेच दिया। रामचन्द्रजी ने अपना हिस्सा किसी को बेचान नही किया। इस हिस्से पर हम वादीगण बो रहे है। रामचन्द्र के एक पुत्र हमारे पिता देवकरण हुए। देवकरण जी के दो संताने जगदीश और मै स्वयं हुए। राजस्व कर्मचारी द्वारा सम्पूर्ण खाते को प्रतिवादी के पिता लक्ष्मण के दर्ज कर दिया उक्त जमीन में आधा हिस्सा हमारा है व हम बो रहे है। जिरह में लिखवाया कि जमीन लक्ष्मण के वारिसान मुमाना, हीरा के के नाम चल रही है। खातेदार अनुसूचित जनजाति के भील समुदाय के है। नारसिंह ने आधा हिस्सा प्रतिवादी के पिता को बेचा। यह सही है कि गमाना प्रतिवादी ने हमारे खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति का दावा किया है।

पी0डब्ल्यू 2 घीसूलाल पारीक निवासी बीडकाखेडा ने अपने बयान में अंकित करवाया कि मैं वादग्रस्त जमीन को जानता हू। जमीन पहले नाहरसिंह, रामचन्द्र पिता धूकलजी के नाम पर थी। दोनों भाईयों का आधा आधा हिस्सा था जिसमें से नाहरसिहजी ने उनका हिस्सा भीलों को बेच दिया। रामचन्द्र जी ने उनका हिस्सा नही बेचा। उक्त जमीन के पास मेरा खेत है। रामचन्द्रजी के लडका देवकरण व देवकरण के 2 लडके रामस्वरूप और जगदीया है। मै इनको खेती बाडी करते देख रहा हू। नाहरसिंह ने लक्ष्मण को आधा हिस्सा बेचा किन्तु पूरा ही खाता दर्ज कर दिया। अब आधा हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज होना चाहियं। जिरह में लिखवाया कि यह हकना गलत है कि सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है बल्कि आधी जमीन वादी व आधी जमीन प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। मैने रिकॉर्ड नही देखा। यह कहना गलत है कि 60 साल से जमीन प्रतिवादीगण के खाते में चली आ रही है। प्रतिवादीगण भील जाति के है सही है।

पी0डब्ल्यू 3 जगदीश पारीक ने अपने बयान में पी0डब्ल्यू 1 व पी0डब्ल्यू 2 के वाक्यों को दोहराया तथा वादग्रस्त जमीन का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया। जिरह में लिखवाया कि नाहरसिंह ने अपना हिस्सा बेच दिया। जमीन हमारे बाप दादाओ की है। जमीन हमारे पिता के नाम नही रही हमारे दादा के नाम दर्ज रही।

प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 6 अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत न होने से शहादत प्रतिवादी का अवसर समाप्त किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाबदावा के समर्थन में किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

दिनांक 25.11.2019 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि ग्राम बीड का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरियां तहसील माण्डलगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 193, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 कुल

Scanned by CamScanner

किता 7 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा [illegible] हिस्सा 1/4 [illegible] 1/4 के [illegible] दर्ज रिकॉर्ड है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 है। उक्त खाता संख्या 18 के भूमि [illegible] सम्वत् 2017–20 के खाता संख्या 17 में अंकित खसरा नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा से मिलकर बने है। खाता संख्या 17 के अनुसार आराजी संख्या 156 नाहरसिंह रामचन्द पिता धूकलजी पारीक सा.देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था। नाहरसिंह द्वारा अपना 1/2 हिस्सा लक्ष्मण पिता लाला जाति भील को विक्रय कर दिया गया उक्त तथ्य का अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 के खाता संख्या 17 के कॉलम नम्बर 16 ग्राम बीड का खेड़ा से स्पष्ट होता है। उक्त खाता संख्या के खातेदार नाहरसिंह द्वारा अपने 1/2 हिस्से का ही विक्रय लक्ष्मण पुत्र लाला भील को किया गया था परन्तु कालान्तर में राजस्व रिकॉर्ड लिखा जाते समय राजस्व अधिकारी की त्रुटि से सम्पूर्ण खाता लक्ष्मण पिता लाला भील व तत्पश्चात उसके वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। खाता संख्या 17 के अन्य खातेदार रामचन्द्र द्वारा अपने 1/2 हिस्से का विक्रय लक्ष्मण पुत्र लाला जाति भील को नहीं किया गया था परन्तु रामचन्द्र का भी हिस्सा कालान्तर में लक्ष्मण पुत्र लाला भील के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। उक्त अंकन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण मृतक [illegible] के पुत्र है जो कि खातेदार रामचन्द्र का पुत्र था इस प्रकार वादीगण खातेदार रामचन्द्र के विधिक उत्तराधिकारी होने से खाता संख्या 18 सम्वत् 2069–72 के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को उपने नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः खाता संख्या 18 में अंकित भूमि आराजी संख्या 193, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं साक्ष्य इत्यादि का परीक्षण किया। बाद अवलोकन पत्रावली में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:

तनकी संख्या 1 : तनकी संख्या 1 के अंतर्गत यह सिद्ध किया जाना था कि साबिक आराजी संख्या 156 मिन ग्राम बीडकाखेडा पूर्व में खातेदार नाहरसिंह रामचन्द्र पिता धूकल पारीक के नाम राजस्व लेखों में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम बीड का खेडा तहसील माण्डलगढ की राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 के खाता संख्या 17 में नाहरसिंह, रामचन्द्र पिता धूकलजी पारीक सा. देह का नाम अंकित है, साथ ही कॉलम संख्या 16 में नाहरसिंह का हिस्सा लक्ष्मण पुत्र लाला को विक्रय किये जाने से लक्ष्मण पिता लाला का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 156 मिन के वर्तमान आराजी संख्या 193, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 है जिसका कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा है। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2072 ग्राम बीड का खेडा तहसील माण्डलगढ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मिन नम्बर 156 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बीड का खेडा से ही नवीन नम्बर 193, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा बने है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

[illegible] अधिकारी
[illegible]

तनकी संख्या 3 : तनकी संख्या 3 के अंतर्गत यह सिद्ध किया जाना था कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार नाहरसिंह के द्वारा ही अपना सम्पूर्ण [illegible] खाते का 1/2 हिस्सा था, को ही लक्ष्मण पिता लालू भील को विक्रय किया गया था शेष 1/2 हिस्सा जो कि खातेदार रामचन्द्र का हिस्सा था को विक्रय नहीं किया गया था। [illegible] पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति से यह स्पष्ट होता है कि [illegible] नाहरसिंह द्वारा ही अपने 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय लक्ष्मण पुत्र लाला भील को

किया गया था। रामचन्द्र द्वारा अपने 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय नही किया गया था। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 : तनकी संख्या 4 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाना था कि रामचन्द्र का पुत्र देवकरण एवं देवकरण के पुत्र वादीगण जगदीश एवं रामस्वरूप है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य बयान से यह स्पष्ट होता है कि रामचन्द्र का पुत्र देवकरण था एवं देवकरण के पुत्र वादीगण जगदीश एवं रामस्वरूप है। उक्त तथ्य का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 : तनकी संख्या 5 के अंतर्गत यह विनिश्चय किया जाना था कि वादीगण रामचन्द्र के हिस्से का हक प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं। चूंकि तनकी संख्या 4 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि देवकरण रामचन्द्र का पुत्र था तथा वादीगण जगदीशं एवं रामस्वरूप देवकरण के पुत्र है। चूंकि यह स्पष्ट है कि वादीगण देवकरण के पुत्र है अतः इस प्रकार देवकरण के विधिक उत्तराधिकारी भी है। चूंकि न्यायालय के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देवकरण के पु. होने बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के देवकरण के उत्तराधिकारी होने का खण्डन नही किया गया है अतः ऐसी स्थिति में जगदीश एवं रामस्वरूप देवकरण के पुत्र होने से रामचन्द्र की खातेदारी में स्थित कृषि भूमि में हक प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अतः प्रथमदृष्टया वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर वादीगण को जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 ग्राम बीडकाखेडा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ के खाता संख्या 18 में अंकित कृषि भूमि आराजी संख्या 193, 197, 198, 199, 200, 201 एवं 202 कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण के स्थान पर 1/2 दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner